



महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना, हैदराबाद - 500 004.
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E)
ANDHRA PRADESH AND TELANGANA, HYDERABAD - 500 004.

PM/VI/2015-16/OG-GO/

दिनांक / Date :

-11-2015.

To
The Director of Treasuries and Accounts
Telangana
4th Floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
HYDERABAD

Sir,

Sub: Forwarding of copy of Orders Regarding increase of Minimum Pension to Rs. 3450/-for Rajasthan pensioners.

Ref: 1. Director of Pensions and Pensioners Welfare Dept. Govt of Rajasthan No P.5(254)FD(Rules)2013/2357-2400-H dt 14.08.2015.
2. PAG (A&E) Rajasthan lr NoPA/Order/2015-16/2343/ Dt 16.09-2015.

I am to enclose herewith a copy of orders of state Govt. of Rajasthan and received from The Principal Accountant General (A&E), Rajasthan, under special seal authority in the reference second cited. The same is being placed in the official website of this office (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action as per the orders in the cases where it is applicable.

Yours faithfully


Sr.Accounts Officer

Copy to

1. The Joint Director
Pension Payment Office
MJ Road, Nampally
HYDERABAD for information and necessary action.

Sr.Accounts Officer

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक:-पेंशन प्राधिकृति/आदेश/2015-16/ 2343

दिनांक:- 16.09.15

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक)

आन्ध्रप्रदेश, शेफाबाद रोड,
हैदराबाद - 500004396361 - 118486515
23/09/15 18/9

विषय:- न्यूनतम पेंशन का भुगतान रूपये 3450/- प्रतिमाह सुनिश्चित कराने बाबत ।

संदर्भ:- निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान, जयपुर का पत्रांक प.5(254)
नि.वि./नियम/2013/न्यू./2357-2400 - H दिनांक 14.08.2015

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित क्रम में न्यूनतम पेंशन के भुगतान के संबंध में इस कार्यालय द्वारा जारी किए गये पत्र संख्या पी.ए./आदेश/2013-14/3192-3294 दिनांक 30.09.2013 एवं समसंख्यक पत्रांक 4484-4516 दिनांक 1.1.2014 का अवलोकन करने का श्रम करें ।

उक्त संबंध में निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र संख्या प.(254) नि.पे.वि./नियम/2013/न्यू./2357-2400 - H दिनांक 14.8.2015 की छाया प्रतिलिपि संलग्न कर लेख है कि जिन सिविल पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन 3450/- प्रतिमाह से कम है, उनका परीक्षण उक्त आदेशों के अन्तर्गत पुनः तत्काल किये जाने हेतु संबंधित कोषाधिकारी / पेंशन भुगतान अधिकारी / बैंक शाखाधिकारियों को निर्देशित करने का श्रम करें एवं यह कार्य एक माह में पूर्ण किया जाकर यथाशीघ्र इस कार्यालय को अवगत कराने का श्रम करें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

oap.

व.लेखाधिकारी/पेंशन प्राधि.

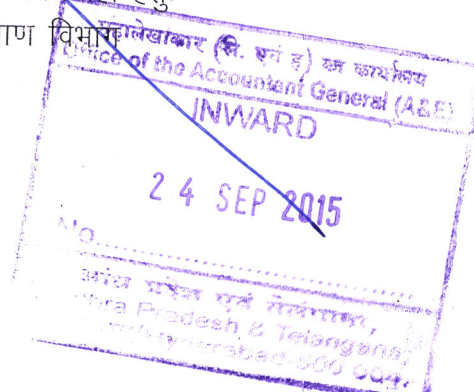
दिनांक:-

क्रमांक:-पेंशन प्राधिकृति/आदेश/2015-16/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग

राजस्थान जयपुर



व.लेखाधिकारी/पेंशन प्राधि.

राजस्थान सरकार

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.5(254)निपेवि/नियम/2013/(न्यू)/

दिनांक : 14.08.2015

1. महालेखाकार,

2357-2400 H

राजस्थान, जयपुर।

2. कोषाधिकारी,

(समस्त राजस्थान)

विषय :- न्यूनतम पेंशन का भुगतान

संदर्भ :- राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(3)वित्त/नियम/2008 दिनांक

28.06.2013 का पैरा-(iii) एवं इस विभाग का पत्र संख्या 1474-1534-एच

दिनांक 16.09.2013 एवं पत्र संख्या 2199-2260(H) दिनांक 19.11.2013

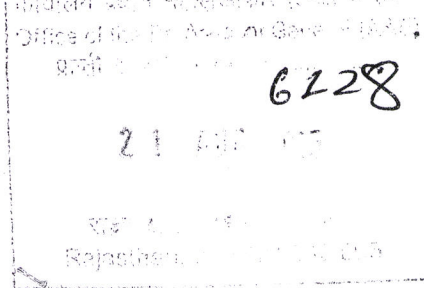
महोदय,

उपरोक्त विषय में क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर ने उनके अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 11.06.2015 द्वारा मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराया है कि कई सिविल पेंशनरों को 3450/रु प्रतिमाह से कम पेंशन/पारिवारिक पेंशन मिल रही है। अतः पेंशन 3450/रु प्रतिमाह से कम के मामलों में सभी पेंशन भुगतान आदेशों की जांच कर सही दर सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(3)एफडी/रुलस/2008 दिनांक 28.06.2013 द्वारा ज्ञापन संख्या एफ.12(3)एफडी/रुलस/2008 दिनांक 12.09.2008 के पैरा-(vi) में न्यूनतम पेंशन 3025 के स्थान पर 3450/रु प्रति स्थापित करने पर इस विभाग के पत्र संख्या 1474-1534(एच) दिनांक 16.09.2013 द्वारा पेंशन भुगतान आदेशों में संशोधन करने के निर्देश दिए गये थे। तत्पश्चात पत्र संख्या 2199-2260(H) दिनांक 19.11.2013 द्वारा पुनः निर्देश देते हुए निदेशक कोष एवं लेखा को प्रति दी गई थी।

उक्त परिपेक्ष्य में पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिन भुगतान आदेशों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन की दर 3450/रु प्रतिमाह से कम है तथा उनका परीक्षण उक्त आदेशों के अन्तर्गत संशोधन हेतु नहीं किया गया है, तत्काल किया जाकर सही दर से पेंशन/पारिवारिक पेंशन अधिकृत की जावे।

यह कार्य 1 माह में पूर्ण किया जाकर निम्न हस्ताक्षकर्ता को सूचित किया जावे।



भवदीय
(कै.के.गैडियोक)
निदेशक